IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, July 2022
Impact Factor: 6.252

मध्यस्थम एवं लोक अदालतों की सुलह विधि द्वारा प्रकरणों का निस्तारण

डॉ. प्रभाकर द्विवेदी
ग्रामः पोस्ट लहंगपूर, जिलाः मिर्जापुर (उ. प्र.)

शोध सारांशः

पक्षकारों के बीच विवाद को तय करने के तीन ही तरीके हैं, पहला यह कि विवाद के निस्तारण हेतु न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाये जिसमें न्यायालय दोनों पक्षकारों का साक्ष्य लेखबद्ध करके अपने निर्णय द्वारा डिक्री पारित करती है। न्यायालय द्वारा विवाद निस्तारण करने के तरीके में पहले वाद योजित करना होता है जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता की सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है और सुनवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है उसको भी साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ही ग्राह्य किया जा सकता है अतः न्यायालय की प्रक्रिया तकनीकी एवं क्लिष्ट होती है और इसमें समय लगना स्वाभाविक ही है। विवाद निस्तारण करने का दूसरा तरीका पक्षकारों की सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति करके उसको विवाद के निस्तारण के लिए निर्दिष्ट करना है जिसमें मध्यस्थ के लिए यह बाध्यकर नहीं होता है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन करें। इसमें मध्यस्थ द्वारा जो विवादों के निस्तारण सम्बन्धी निर्णय दिया जाता है उसे अवार्ड या पंचाट कहते हैं जो कि न्यायालय की डिक्री के समान होता है। विवाद निस्तारण का तीसरा तरीका सुलह के माध्यम से किया जाता है जिसमें पक्षकार अपने विवाद को सुलह द्वारा तय करने के लिए जब तैयार हो जाते हैं तो उनके बीच सुलहकर्ता दोनों पक्षकारों की दलीलों को पढ़कर इस बात का प्रयास करते हैं कि दोनों पक्षकारों के बीच सुलह हो जाये और पक्षकारों द्वारा ही सुलहकर्ता के सहयोग से समझौता निष्पादित किया जा सकता है जिसकी सुलहकर्ता पुष्टि करता है, इसमें न तो किसी प्रकार का साक्ष्य लेखबद्ध करना पड़ता है और न ही किसी प्रकार के सिविल प्रक्रिया संहिता या साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानों के पालन करने की आवश्यकता है और यह सीधा एवं पक्षकारों के चुने हुए मध्यस्थों द्वारा विवादों का निस्तारण कराने को मध्यस्थम कहते हैं। इस शोध पत्र में इन्हीं बिन्दुओं को उल्लिखित करने का एक प्रयास है।

संदर्भ स्रोत :–

[1]. मध्यस्थम एवं सुलह विधि : सरल कानूनी ज्ञान माला, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

[2]. Agrawal, K.B. Legal Services in India - Some Respected Trends, 1983, 8 All L.J. 127 (1983)

[3]. कानून– एक परिचय : वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति।

[4]. Bhaagwati Justice P.N. Law Justice & the Underprivileged Keynote address at the national Scmmar on Underprivileged Rural Labour held at New Delhi January 5-8, 1984